न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–22/2016(जीसीएमएस नम्बर 2016/00091)

1. बिजेन्द्र सिह दत्तक पुत्र जगराम, जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

**बनाम**

1. विरमा पुत्री बाबूलाल पौत्री उम्मेदसिंह, जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर, राजस्थान।

––**असल रेस्पोडेन्ट**

2. मु0 सावो बेवा यादराम जाति जाट निवासी भरीथल **(मृतक)**
3. देवीसिंह पुत्र यादराम जाति जाट निवासी भरीथल **(मृतक)**
4. प्रेम सिंह पुत्र यादराज जाति जाट निवासी भरीथल,
5. जयदेई पुत्री यादराम पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी भरीथल,
6. सीया पुत्री यादराम पत्नी फूलसिह, जाति जाट निवासी भरीथल हाल ढवाली तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान।
7. मीरा पुत्री यादराम पत्नी पदमसिंह जाति जाट निवासी भरीथल हाल निवासी बेढम तहसील डीग जिला भरतपुर राजस्थान।
8. बनेसिह उर्फ बनयसिह पुत्र उम्मेद जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।
9. ग्राम पंचायत रेटा पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रेटा पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थितिः–**

1. **श्री उमाशंकर खण्डेलवाल एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री मूलचन्द चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

## निर्णय

दिनांक 30.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

हस्तगत अपील नामान्तरकरण संख्या 149 वाके ग्राम रेटा से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के न्यायिक निस्तारण में उक्त नामान्तरकरण आवश्यक होने से अपीलार्थी की ओर से दिनांक 07.03.2024 को प्रस्तुत उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित को रिकार्ड पर लिया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट ने नामन्तरकरण संख्या 149 दिनांक 23.04.1963 वाके ग्राम भरीथल तहसील कठूमर की बाबत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ प्रस्तुत की जो अपील उक्त अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर मानकर खारिज कर दी जिस निर्णय के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान्

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो अपील स्वीकार होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को को प्रेषित की गई, जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ने निर्णय दिनांक 07.10.2015 के तहत असल रेस्पोडेन्ट का नाम विवादित नामान्तरकरण में 1/3 हिस्से दर्ज करने का आदेश दिये गया है, जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व पत्रावली का कतई कोई अवलोकन नही किया और प्रस्तुत सजरा पर गौर कर विरासत का नामान्तरकण गलत तौर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट मृतक श्री जगराम का गोद पुत्र है जिस गोद के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण संख्या 316 ग्राम भरीथल तस्दीक हो चुका है तथा असल रेस्पोडेन्ट ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 149 के सम्बन्ध में नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ कर रखा है। ऐसी स्थिति में रेगूलर वाद के चलते नामान्तरकरण बाबत कोई निर्णय पारित नही किया जाना चाहिये था। उन्होने आगे कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट ने नियमित वाद में अपना 1/4 हिस्सा क्लेम किया जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने असल रेस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्सा मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो सरासर गलत होने निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2015 अपास्त फरमाए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के रिकार्डेड खातेदार उम्मेदसिंह था। जिसके चार पुत्र क्रमशः बाबूलाल, यादराम, जगराम, व बनेसिंह थे तथा उनमें से एक पुत्र बाबूलाल की मृत्यु उम्मेदसिह के जीवनकाल में ही हो गई थी। जिस बाबूलाल के एक पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विरमा थी जो कि भूमि विवादग्रस्त के खातेदार उम्मेदसिंह की मृत्यु के समय मौजूद थी किन्तु यादराम, जगराम, व बनैसिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विरमा को छिपाते हुए भूमि विवादग्रस्त के खातेदार उम्मेदसिंह की विरासत का नामान्तरकरण केवल यादराम, जगराम, बनेसिंह ने अपने नाम करा लिया, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के खिलाफ था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट जगराम का दत्तक पुत्र नही है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तोवज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट जगराम का दत्तत पुत्र है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मतदाता सूची 1970 ग्राम भरीथल, बाबूलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, बाबूलाल की पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया कि उम्मेदसिह का लडका बाबूलाल नही था एवं बाबूलाल की पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विरमा नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि गोद पुत्र होने का प्रश्न जटिल है और गोदनाम के जटिल प्रश्न केवल सिविल न्यायालय ही तय कर सकती है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में गोदनामा, वसीयत के सम्बन्ध में

P.T.O.

निर्णय नही हो सकता है। अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष गोद जाने का ना तो रिकार्ड पेश किया है, ना ही ऐसा तथ्य प्रकट किया। अब द्वितीय अपील में जगराम के गोद जाने का जिक्र किया है जो तथ्य प्रथम अपीलीय न्यायालय में नही उठाया गया उसका द्वितीय अपीलीय न्यायालय में विचार नही किया जा सकता है। उन्होने आगे कथन किया है कि खातेदार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की कार्यवाही इस आधार पर रूक सकती है कि सूट विचाराधीन है क्योंकि नामान्तरकरण की समरी प्रोसिडिंग से अधिकार कन्फर्म नही होते है। केवल रेन्ट के लिए होती है किससे रेन्ट लिया जावें, जहॉ तक रेस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्सा का नामान्तरकरण खोले जाने का प्रश्न है। माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि उम्मेदसिंह के चार पुत्र थे। बाबूलाल, यादराम, जगराम व बनेसिंह और जगराम लावल्द फौत हो गया। जगराम की विरासत तीनों भाईयों के वारिसों को जायेगी इसलिये 1/3 भाग यादराम के वारिस तथा 1/3 भाग के बनेसिह तथा 1/3 भाग के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विरमा जो कि बाबूलाल की वारिस है 1/3 भाग जावेगा, जगराम के अपीलान्ट गोद गया ऐसा तथ्य प्रथम अपीलीय न्यायालय में नही आया। अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज करने के आदेश में कोई त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी जगराम के गोद पुत्र होने के सम्बन्ध न्यायालय हाजा की पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात इत्यादि संलग्न नही पाये गये तथा रेस्पोडेन्ट विरमा भूमि विवादग्रस्त के मृतक खातेदार उम्मेदसिंह के पुत्र बाबूलाल की पुत्री तथा खातेदार उम्मेदसिंह की पौत्री नही होने के सम्बन्ध में भी कोई उज्रात न्यायालय हाजा की पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उपलब्ध नही पाये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2015 किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।